Voters' Services Portal

Voters' Services Portal

voters.eci.gov.in

प्रेस नोट - 30.06.2025

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): 2003 की मतदाता सूची ईसीआई वेबसाइट पर अपलोड

4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं

इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को भी अपने माता-पिता से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ जमा नहीं करना होगा

1. भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण शामिल है, आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी है।

2. 24 जून 2025 को जारी ईसीआई निर्देशों के पैरा 5 में उल्लेख किया गया था कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ)/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ)/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ) यह सुनिश्चित करें कि 01.01.2003 की अहर्ता तिथि वाली मतदाता सूचियां सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में और वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर अपने नामांकन फॉर्म के साथ दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके।

3. बिहार की 2003 मतदाता सूचियों की आसान उपलब्धता से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं के लगभग 60% को कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण का सत्यापन कर नामांकन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ये विवरण मतदाता और बीएलओ दोनों के लिए सुलभ होंगे।

4. आगे, निर्देशों के अनुसार, जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने माता-पिता (माता या पिता) के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ देने के बजाय 2003 की मतदाता सूची का प्रासंगिक अंश उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में माता या पिता के लिए अन्य कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं होगा। केवल 2003 मतदाता सूची से संबंधित विवरण ही पर्याप्त होंगे। इन व्यक्तियों को केवल अपने लिए दस्तावेज़ देने होंगे और नामांकन फॉर्म भरकर जमा करना होगा।

5. यह स्पष्ट है कि प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(क) तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 25 के अनुसार अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पिछले 75 वर्षों से वार्षिक रूप से गहन अथवा संक्षिप्त पुनरीक्षण करता आ रहा है।

6. यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि मतदाता सूची एक परिवर्तनशील सूची होती है, जो मृत्यु, स्थानांतरण (नौकरी/शिक्षा/विवाह आदि के कारण), नए मतदाताओं के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने आदि कारणों से निरंतर परिवर्तित होती रहती है।

7. इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदाता बनने की पात्रता निर्धारित की गई है। केवल वे भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं।